कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर (राजस्थान)

....

क्रमांक : स्था0 / 2014 / 214 दिनांक : 15.07.2014

—: विज्ञप्ति :—

भरतपुर न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अस्थाई 57 पदों पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा चयन कर नियुक्ति हेतु उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद की निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र आवेदको से इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तो एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का निर्धारण व Categorywise वर्गीकरण पूर्णतया Tentative है व इसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत चालू पे बैण्ड (PB-1) 5200—20200+ग्रेड पे 1700 / —रुपये में उक्त नियम, 2008 के नियम 21 व राजस्थान सरकार के संशोधित आदेश संख्या एफ.14(1) एफ.डी. (नियम) / 2013—II दिनांक 28.06.2013 के तहत दो वर्ष तक की प्रोबेशन अवधि में नियत पारिश्रमिक 5400 / —रुपये प्रतिमाह देय होगा। इन पदों का उक्त स्केल प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूर्ण करने की तिथि से ही देय होगा।

भरतपुर न्यायक्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त अस्थाई 57 पदों में से प्रभावी रोस्टर अनुसार 08 पद अनुसूचित जन जाति, 09 पद अनुसूचित जाति, 12 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा 28 पद सामान्य संवर्ग से भरे जायेगें। महिला आवेदकों, निःशक्तजन एवं खिलाड़ी आदि को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा।

आवेदको के लिए निम्नलिखित आवश्यक योग्यता तथा शर्ते लागू होगीः—

01. राष्ट्रीयता : आवेदक भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो। (नियम 8)

02. आयु : आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिलाएं, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं आदि को इस सम्बन्ध में वांछित प्रमाण पत्र पेश करने पर नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।

03. शैक्षणिक योग्यताए :

उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम 05वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिये तथा देवनागिरी लिपी में हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिये।

04. चरित्र : आवेदक को दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो उसके रिश्तेदार नहीं हो। उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों के दोनों चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से छः माह से पूर्व के नहीं होने चाहिये।

05. शारीरिक योग्यता : आवेदक का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये व ऐसा मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिये जो उनके सेवा के सदस्य के रूप में अपना कर्त्तव्य दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो। चयन होने पर अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

06. संतान सम्बन्धी सूचना :ऐसा कोई भी आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी दो से अधिक संताने है, परन्तु इन नियमों की प्रारम्भ की तारीख को दो से अधिक सन्तानों वाले आवेदक को निरर्हित नहीं समझा जायेगा। जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से एक ही सन्तान है, किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा, परन्तु राजस्थान चतर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 के प्रारम्भ की दिनांक 01.06.2002 से 280 दिन के भीतर किसी सन्तान का जन्म निरर्हता नहीं होगी। विवाहित आवेदक को उपरोक्त अनुसार दो से अधिक संतान नहीं होने से निरर्हित नहीं होने का घोषणा का आवेदन के संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

07. विवाह पंजीयन : आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन पत्र में पति / पत्नी के नाम का उल्लेख किया जावेगा तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति या आवेदक का विवाह पंजीयन नहीं होने की स्थिति में उसे आवेदन पत्र के संलग्न प्रारुप—6 में 10 / —रुपये

के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

08. पेंशन योजना एवं स्थाई पारितोषणः नियुक्ति के पश्चात आवेदक के द्वारा परीवीक्षा अवधि पूरी करने पर राज्य सरकार की नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेन्डेन्टस रुल्स, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण आदि के सभी नये नियम लागू होगे।

09. आवेदन पत्रः आवेदक को सादा कागज पर पासपोर्ट साइज का फोटोयुक्त अपना आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथी, राष्ट्रीयता तथा आरक्षित वर्ग के नाम का उल्लेख हो। आवेदन पत्र के अंत में दिनांक सहित आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिये। यदि आवेदक वर्तमान में कहीं सेवारत हो तो उसका आवेदन पत्र में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित करें। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा और उसकी पृथक से कोई सूचना प्रेषित नही की जावेगी।

10. आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि : सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को सांय 5.00 बजे तक "कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायालय, भरतपुर (राज0)" में आवश्यक रुप से पहुंच जाने चाहिये।

इस विज्ञप्ति में बताये अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां एवं शपथ पत्र आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होगे। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर उस पर हस्ताक्षर करने होगें व किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा। आवेदन पत्र पर आवेदक को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होगें। आवेदक के द्वारा उपरोक्त अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां व शपथ पत्र आदि संलग्न किये बिना व उपरोक्त अनुसार पूर्ण पालना किये बिना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा आवेदन पत्र में अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर ऐसे आवेदन पत्रो को निरस्त किया जा सकेगा।

उपरोक्त नियत अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और ये आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माने जायेगें व इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी। अभ्यर्थी को प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी :–

(A)सत्य प्रतिलिपि

1. जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति
2. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
3. आरक्षण/आयु सीमा में छुट चाहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग आदि के आवेदको के जाति प्रमाण पत्र।
4. विधवा महिला के पति की मृत्यु बाबत सक्षम अधिकारी से प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र व तलाकशुदा महिला के विवाह विच्छेद की सक्षम न्यायालय से पारित विवाह विच्छेद की डिक्री अथवा प्रमाण पत्र।
5. आवेदक के द्वारा जिस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय में अन्तिम शिक्षा प्राप्त की उसके प्रधानाचार्य/शैक्षिणिक अधिकारी के द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र

(B) मूल प्रमाण पत्र

1. चरित्र के सम्बन्ध में दो उत्तरदायी व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र

(C) शपथ पत्र

1. विवाहित आवेदक के द्वारा विवाह के समय दहेज नहीं लेने का प्रमाणित शपथ पत्र (10/–रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
2. विवाहित आवेदक को दो से अधिक संतान नहीं होने से निरर्हित नहीं होने बाबत आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप में प्रमाणित शपथ–पत्र
3. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अथवा आवेदन पत्र के संलग्न प्रारुप–6 में प्रमाणित शपथ–पत्र

(D) पांच–पांच रूपये के डाक टिकट लगे हुए आवेदक के स्वयं के पूर्ण पते सहित 10 X 24 सेमी आकार के दो लिफाफे

नोटः उपरोक्त सभी प्रलेख तथा प्रमाण पत्र आदि की सूची आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार लिखनी होगी व इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होगे।

11.साक्षात्कार :

1- आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात साक्षात्कार में भाग लेने योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की सूची की साक्षात्कार स्थल की सूचना, रोल नम्बर सहित इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 18.08.2014 को लगायी जावेगी।
2- साक्षात्कार दिनांक13.09.2014 को व आवश्यकतानुसार दिनांक14.09.2014 को इसके बाद में नियत तिथि को लिया जावेगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता इस कार्यालय द्वारा नहीं दिया जावेगा। साक्षात्कार में किसी प्रकार की सिफारिश करने एवं कराने वाले प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों को साथ लावें।
3- रोल नम्बर, साक्षात्कार स्थल, परिणाम व साक्षात्कार तिथि में परिवर्तन की सूचना आदि, यदि कोई हो, की सूचनायें उक्त अनुसार समय–समय पर नोटिस बोर्ड एवं **http://ecourts.gov.in/bharatpur** पर लगायी जावेगी। पृथक से किसी आवेदक को सूचित नहीं किया जावेगा।

–Sd–
जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
भरतपुर

क्रमांकः स्था0 / 2014 / 5893–5980 दिनांकः 15.07.2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ...
4. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, भरतपुर न्याय क्षेत्र
5. जिला कलेक्टर, भरतपुर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
7. जिला नियोजन अधिकारी, भरतपुर
8. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, भरतपुर
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिलाधीश कार्यालय, भरतपुर को भरतपुर जिले की Website पर अपलोड किये जाने हेतु
10. सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भरतपुर को इस न्यायालय की Website पर अपलोड किये जाने हेतु
11. नोटिस बोर्ड / रक्षित पत्रावली

–Sd–
जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
भरतपुर